बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
–:: संकल्प ::–

पटना–15, दिनांक.....

श्री संजय कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–104/2026, (297/23), तत्कालीन अपर समाहर्त्ता–सह–बन्दोबस्त पदाधिकारी, अरवल सम्प्रति संयुक्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के विरुद्ध नकारात्मक रूप से कार्य करने, अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता प्रदर्शित करने एवं अपने वरीय पदाधिकारियों की छवि धूमिल करने संबंधी आरोप–पत्र जिला पदाधिकारी, अरवल के ज्ञापांक–225, दिनांक– 16.01.2024 द्वारा आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराया गया। प्राप्त मामले की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1375, दिनांक–23.01.2024 द्वारा श्री कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।

तदुपरांत आरोप पत्र पुनर्गठित करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय पत्रांक–3615, दिनांक–01.03.2024 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। उक्त के आलोक में श्री कुमार का स्पष्टीकरण (दिनांक 10.07.2024) प्राप्त हुआ।

श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। सम्यक् समीक्षोपरान्त श्री कुमार का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाया गया तथा मामले की गम्भीरता को देखते हुए आरोपों की विस्तृत जाँच हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक–12996, दिनांक–16.08.2024 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संचालित किया गया। कालांतर में श्री कुमार को विभागीय संकल्प ज्ञापांक–17774, दिनांक–04.11.2024 द्वारा निलंबन मुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी–सह–आयुक्त मगध प्रमण्डल, गया जी के पत्रांक–1125, दिनांक–07.03.2026 द्वारा जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में आरोप संख्या–2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 एवं 13 को आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक–6092, दिनांक–06.04.2026 द्वारा श्री कुमार से अभ्यावेदन/लिखित अभिकथन की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री कुमार का लिखित अभिकथन (दिनांक–21.04.2026) प्राप्त हुआ, जिसमें मुख्य रूप से अंकित किया गया कि:–

"जिला पदाधिकारी, अरवल ने अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों एवं कर्मियों को अपने पद का दुरूपयोग एवं भय दिखाकर मेरे विरूद्ध झूठे, बेबुनियाद एवं बिना साक्ष्य के आरोप लगाया गया है, क्योंकि जिला में जिला पदाधिकारी सर्वोच्च पद होता है, जिस कारण भय से भी कुछ पदाधिकारियों ने उन पर बेबुनियाद एवं बिना साक्ष्य के आरोप लगाये हैं। साथ ही, इनके द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि मेरे द्वारा कोई असंवैधानिक एवं गैर जिम्मेदाराना कार्य नहीं किया गया है। मेरे विरूद्ध कोई वित्तीय अनियमितता या सरकारी राजस्व की हानि को कोई आरोप नहीं है।

कृ०पृ०उ०

8. श्री कुमार के विरुद्ध गठित आरोप, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं श्री कुमार से प्राप्त लिखित अभिकथन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी, समीक्षोपरांत पायाा गया किः–

(i) श्री कुमार के विरुद्ध अपने वरीय पदाधिकारी (जिला पदाधिकारी, अरवल) के साथ अशिष्ट व्यवहार करने, जिला पदाधिकारी, अरवल की छवि को धूमिल करने, उनके आदेशों का अनुपालन नहीं करने एवं कनीय तथा अधीनस्थ कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार करने, मौखिक उत्पीड़न करने आदि जैसे आरोप हैं।

(ii) संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन में अंकित किया गया है कि लगभग सभी गवाहों के द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध लगाये गये आरोप को सही बताया गया है। इसके अतिरिक्त विशेष कार्य पदाधिकारी श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह के साथ बातचीत का कॉल रिकार्डिंग में श्री संजय कुमार के द्वारा स्वयं को प्रभावशाली एवं पॉलिटिकली मजबूत व्यक्ति बताया गया है तथा ऐसे शब्द बोले गये हैं, जो श्री कुमार जैसे वरीय पदाधिकारी का गंभीर आचरण को नहीं दर्शाता है, बल्कि यह अशिष्ट आचरण का द्योतक है।

(iii) श्री कुमार के विरूद्ध प्रशासनिक तालमेल एवं सूझ–बूझ का अभाव दृष्टिगोचर हुआ है, जिस कारण संचालन पदाधिकारी ने श्री कुमार के विरुद्ध अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं प्रशासनिक शिष्टाचार एवं व्यवहार में कमी के आरोप को अंशतः प्रमाणित पाया है।

9. उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत श्री कुमार द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन को अस्वीकृत करते हुए संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए श्री कुमार के विरूद्ध (i) निन्दन (आरोप वर्ष 2023–2024) एवं (ii) 01 (एक) वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक की शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया।

10. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिए गये उक्त निर्णय के आलोक में श्री संजय कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–104/2026, (297/23), तत्कालीन अपर समाहर्त्ता–सह–बन्दोबस्त पदाधिकारी, अरवल सम्प्रति संयुक्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को निम्न शास्ति अधिरोपित/संसूचित किया जाता हैः–

(i) निन्दन (आरोप वर्ष 2023–2024)

(ii) 01 (एक) वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

आदेश :–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(उमेश प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव।

स्पीड पोस्ट

ज्ञापांक–08 / आरोप–01–09 / 2024(खंड) सा०प्र० 8141 / पटना–15, दिनांक 18.5.24

प्रतिलिपि:–महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, बिहार, पटना / वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) बिहार, पटना / अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना / आयुक्त, मगध प्रमण्डल, गया जी / जिला पदाधिकारी, अरवल / कोषागार पदाधिकारी, विश्वैशरैया भवन, पटना / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, बिहार, पटना / श्री संजय कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–104 / 2026, (597 / 2023), संयुक्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना / अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–12, 14, 29 एवं आई.टी. मैनेजर (शीर्ष–09 के अंतर्गत विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15.5.24

सरकार के अवर सचिव।